यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** के माह 04/2014 से माह 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** एवं श्री **दयाशंकर**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.11.2017 से 14.11.2017 तक श्री **शशि कान्त पाण्डेय**, लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **विनीत निगम**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री उदयवीर सिहं द्वारा दिनांक 15.04.5015 से 25.04.2015 तक श्री **प्रेम चन्द**, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से माह 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	105.76	85.89	19.87	6338.86	6180.42	158.44
2015-16	Nil	Nil	121.12	95.10	26.02	3793.96	3706.83	87.13
2016-17	Nil	Nil	125.71	121.39	04.32	4399.35	4137.85	261.05

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	530.58	530.58	Nil	653.16	653.16
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	25.39	25.39	Nil	231.34	130.84
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	23.64	23.64	Nil	13.87	13.47
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	46.23	45.47	Nil	122.09	00.29

इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ** ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः– लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न योजनाओ के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग – दो (अ)

प्रस्तर 1:- अवस्थापना मद की धनरा श से **₹ 2.25** लाख के निजी निर्माण कार्य कराया जाना।

अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास योजना के अन्तर्गत वत्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद में ₹ 314.34 लाख का आवंटन 89 कार्यो के निर्माण के लए प्रदान कया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शा मल थे। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था क स्वीकृत धनरा श का व्यय मतव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अमन्यता के आधार पर कया जायेगा तथा स्वीकृत धनरा श का व्यय उन मदों में कदा प नही कया जायेगा जिनके लए यह स्वीकृत नही कया जा रहा है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, पौड़ी के अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क खण्ड वकास अ धकारी, व0ख0 थलीसैंण में ग्राम तरपाली में अनुसू चत बस्ती में बारातघर के निर्माण हेतु ₹ 5.00 लाख स्वीकृत कये गये थे। प्रथम कस्त के रूप में कार्यदायी संस्थान को ₹ 2.25 लाख को माह 10/2016 में अवमुक्त कया गया था। मुख्य वकास अ धकारी पौड़ी की भौतिक सत्यापन जाँच में यह पाया गया क सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा जो मकान बाराघर के रूप में दिखाया गया है वह बाराधर न होकर प्रधान का स्वंय का मकान है जो क अत्यन्त गंभीर प्रकरण है एवं शासकीय धनरा श का दुरूपयोग है। कार्यदायी संस्था वकास खण्ड थलीसैंण/समाज कल्याण अ धकारी को अवस्थापना सु वधाओं के प्रत्येक कार्य की नियमानुसार अनुश्रवण कया जाना अपे क्षत था। जिससे क अनिय मत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रकरण से बचा जा सके। जिसका अनुपालन नही कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क जाँचोंपरान्त अ ग्रम सूचना ऑ डट को प्रे षत की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क यदि समाज कल्याणअ धकारी/सहायक समाज कल्याण अ धकारी द्वारा निय मत रूप से अनुश्रवण कया जाता तो सरकारी धनरा श के दुरूपयोग से बचा जा सकता था।

अतः अवस्थापना मद की धनरा श से ₹ 2.25 लाख के निजी निर्माण कार्य कराये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 1:- B. Ed एवं B. PEd कोर्स के 15 लाभार्थियो को ₹ 3.56 लाख अनियमित छात्रवृत्ति की भुगतान।साथ ही धनरा श ₹ 11,500 की अ धक भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा। सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा बिलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा।

भारत सरकार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देशो के अनुसार B. Ed कोर्स हेतु Maintenance allowance प्रति माह ₹ 300=00 के दर से भुगतान करना है। कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

1) कार्यालय के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की Raath Mahavidyalay, Paithani शिक्षण संस्थान में Maintenance allowance मद में B. Ed के 05 लाभार्थियो को प्रति माह ₹ 530=00 के दर से भुगतान किया गया जो की निम्नरूप है :

Name	**Application No**	**Maintenance allowance paid**	**Maintenance allowance admissible**
Geeta Arya	350600473	530=00	300=00
Ranbir Singh	350600476		
Km Beena	350600464		
Babita	350600471		
Amit Singh	350600465		

इससे प्रति लाभार्थी (230 x 10 माह) = 2300 के दर से 05 लाभार्थियो को (05 x 2300) = 11,500 धनराशि का Maintenance allowance में अधिक भुगतान दर्शाता है।

2) इस शिक्षण संस्थान में B. Ed एवं B. PEd कोर्स हेतु 15 लाभार्थी को अलग अलग शिक्षण शुल्क प्रदान किया गया जो की निम्नरूप है :

Sl. No.	Name	Course	Tuition fees paid
1	Satnambala	B. Ped	28500
2	Sushila Kumari	B. Ped	28000
3	Raju Singh	B. Ped	40000
4	Km Beena	B. Ed	22650
5	Babita	B. Ed	2650
6	Rekha	B. Ed	21500
7	Satnambala	B. Ped	16900
8	Arun Kumar	B. Ed	21500
9	Amit Singh	B. Ed	22650
10	Km Priyanka	B. Ed	21500
11	Geeta Arya	B. Ed	22650
12	Ranbir Singh	B. Ed	22650
13	Km Reshima	B. Ed	23850
14	Sushila Kumari	B. Ped	16750
15	Raju Singh	B. Ped	43800
		Total	**356050**

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है की शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित B. Ed एवं B. PEd कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित नही हुआ है जबकि शिक्षण संस्थान Raath Mahavidyalay, Paithani के 15 लाभार्थियो को वर्ष 2015-16 में B. Ed एवं B. PEd कोर्स हेतु कार्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क के रूप में धनराशि ₹ 356050=00 का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा B. Ed कोर्स हेतु बताया गया है की वर्त्तमान में लाभार्थियो को 50 % का भुगतान किया गया है एवं अधिक भुगतान की धनराशि समायोजित करते हुए आगामी 50% भुगतान किया जायेगा। B. PEd कोर्स हेतु इकाई द्वारा बताया गया है की शिक्षण संस्थान से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा।

अतः B. Ed एवं B. PEd कोर्स के 15 लाभार्थियो को ₹ 3.56 लाख अनियमित छात्रवृत्ति की भुगतान साथ ही 05 लाभार्थियो को Maintenance allowance में धनराशि ₹ 11,500=00 का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 2:- पारिवारिक लाभ योजना में 03 अपात्र लाभार्थी को धनराशि ₹ 0.60 लाख का भुगतान। ।

भारत सरकार द्वारा पोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना (NSAP) के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में परिवार के मुख्य जिबिकोपार्जक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक की थी, मृत्यु पर आश्रितों को एकमुश्त धनराशि ₹ 20,000/- की सहायता प्रदान किया जाता है।

कार्यालय के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया की वर्ष 2015-16 में अनुदान सं 15 (सामान्य जाति) मद में धनराशि ₹ 33.00 लाख, अनुदान सं 30 (अनुसूचित जाति) मद में धनराशि ₹ 14.00 लाख एवं अनुदान सं 31 (अनुसूचित जनजाति) मद में धनराशि ₹ 1.20 लाख का आबंटन हुआ था।

कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु इस योजना के लिए स्वीकृत सूची तैयार की गयी थी जिसमे सामान्य जाति में 165 लाभार्थियो, अनुसूचित जाति में 70 लाभार्थियो एवं अनुसूचित जनजाति में 04 लाभार्थियो को सम्मिलित करते हुए भुगतान किया गया था साथ ही धनराशि ₹ 40000=00 अवितरित रह गयी थी । विवरण निम्नरूप है :-

(धनराशि ₹ लाख में)

मद	आबंटित धनराशि	ब्यय धनराशि	लाभार्थी सं	अवितरित धनराशि
सामान्य	33.00	33.00	165	--
अनुसूचित जाति	14.00	14.00	28	--
अनु : जनजाति	1.20	0.80	04	0.40

वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की सामान्य जाति के एक लाभार्थी एवं अनुसूचित जाति के दो लाभार्थियो को जिनकी आयु स्वीकृत सूची में 59 वर्ष से अधिक दर्शाया गयी थी, कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया है। लाभार्थियो की विवरण निम्नरूप है :-

मद	स्वीकृत सूचि अनुसार क्रम सं	नाम	आयु	पति का नाम	ग्राम	पोस्ट	धनराशि
सामान्य	118	कल्पेश्वरी देवी	63	जगमोहन सिंह	सारी	गुमखाल	20000
अनु: जाति	58	इंद्रा देवी	65	चन्द्र मोहन	लोक मणिपुर	गरसिर	20000
	61	खुरसीदन	71	दीन मोहम्मद	सिमल सैण	कुम्भी चौर	20000

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो रहा है की अपात्र लाभार्थी को कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया था एवं लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा सहमति प्रदान करते हुए यह बताया गया की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः पारिवारिक योजना में 03 अपात्र लाभार्थियो को धनराशि ₹ 0.60 लाख की भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 3:- अवस्थापना मद में शासन द्वारा स्वीकृत **70** कार्य पर **₹ 158.82** लाख अवमुक्त होने के **02** वर्ष के अ धक समय के पश्चात भी कार्य अपूर्ण रहना।

अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहूल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास योजना के अन्तर्गत वत्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद के व भन्न निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश सं0 645/XVII-4/2015-01(28)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा 89 कार्य के लए ₹ 314.50 लाख अवमुक्त कये गये थे। शासनादेश सं0 402/पी.एस.ए.सी.सी./2015 दिनांक 04 जून 2015 कार्यदायी संस्था का चयन करने हेतु जिला धकारी को प्रा धकृत कया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शा मल थे। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था क स्वीकृत धनरा श का उपयोग योजनान्तर्गत संस्तुत प्रत्येक दशा में इसी वत्तीय वर्ष में पूर्ण कर लया जाना सुनिश्चित कया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकरी, पौड़ी की अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क सम्प्रेक्षा अव ध (10/2017) तक स्वीकृत 70 कार्यो के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 158.827/- लाख की धनरा श अवमुक्त की जा चुकी है। 19 कार्य ऐसे पाये गये जो क शासन द्वारा स्वीकृत नही थे ऐसे कार्यो की धनरा श ₹ 58.59 लाख शासन को प्रे षत कर दी गयी है। अवशेष धनरा श ₹ 96.93 लाख मुख्य वकास अ धकारी के पी.एल.ए खाते में जमा है। शासनादेश के अनुसार समस्त कार्य स्वीकृत वत्तीय वर्ष 2014-15 में ही कार्य पूर्ण कया जाना अपे क्षत था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया है। जब क धनरा श अवमुक्त के 02 वत्तीय वर्षों से ज्यादा समय के पश्चात भी सम्प्रेक्षा अव ध (10/2017) तक समस्त स्वीकृत कार्यों का निर्माण अपूर्ण है। समय से कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप अनुसू चत जाति बाहूल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का लाभ पाने से वं चत रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क शासन द्वारा स्वीकृत कार्यो पर वधायको द्वारा बार-बार स्वीकृत कार्ये को संशा धत करने के कारण वत्तीय वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण नही कये जा सके। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क शासन द्वारा स्वीकृत कार्यो पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए थी जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 158.82 लाख की धनरा श कार्यदायी संस्था को अवमुक्ति के 02 वर्ष के पश्चात भी कार्य अपूर्ण है एवं जिस उद्देश्य के लए धनरा श आवंटित की गयी थी उसका उद्देश्य पूर्णतः वफल रहा।

अतः अवस्थापना मद में शासन द्वारा स्वीकृत 70 कार्य पर ₹ 158.82 लाख अवमुक्ति के 02 वर्ष के अ धक समय के पश्चात भी कार्य अपूर्ण रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 4:- लाभा र्थयों का सत्यापन न करने के कारण अपात्र/मृत्यु पैंशनरों की **₹ 10.09** लाख की वतरित धनरा श इकाई के पास अवरूद्ध रहना।

जनपद में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरूष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मि लत रूप से समाज कल्याण वभाग के माध्यम से प्रदान कया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मा सक आय न्यूनतम 4000 से अ धक न हो तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अ धक आयु के पुत्र का भी आय का कोई साधन न हो। ऐसे पात्र लाभा र्थयों को वर्तमान में ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान कया जाता है। पेंशन की रा श का भुगतान त्रैमा सक रूप से अर्थात जून, सतम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में कया जाता है। उत्तराखण्ड शासन पत्रांक 4533/सO0क-लेखा/बजट-आवंटन/2015-16 मार्च 2016 के अनुपालन में स्पष्ट प्रावधान था क पेंशन वतरण के समय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों/मानको के आलोक में लाभा र्थयों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए तद वषयक त्रैमा सक सत्यापन आख्या/रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ता क सूचना शासन को प्रे षत की जा सकें।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, पौड़ी के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के वृद्धावस्था अनुदान योजना के लेखा-अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क उक्त वर्षो में 74628 लाभा र्थ हेतु ₹ 7509.95 लाख धनरा श स्वीकृत की गयी थी। शासनादेश के अनुसार लाभा र्थयों को शत प्रतिशत सत्यापन कया जाना चाहिए था। जब क उक्त अव ध में 4884 लाभा र्थयों का सत्यापन नही कया गया। जिसके फलस्वरूप डाकघर/बैंक द्वारा 218 मृत पेंशनरो की धनरा श ₹ 10.09 लाख इस कार्यालय में बैंक में अवरूद्ध पड़ी हुई है। यदि पेंशनरों का शतप्रतिशत सत्यापन कया जाता तो मृत पेंशनरों की अदेय पेंशन का भुगतान कये जाने से बचा जा सकता था। सत्यापन के अभाव में यह पता ही नहीं चल पाया क पेंशन के रूप में निर्गत की जा रही धनरा श वास्त वक रूप से पात्र जी वत वधवा या पात्र लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अ भलेख वद्यमान नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके क त्रैमा सक भुगतान कए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना ति थ सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। इस तथ्यो से भी इनकार नही कया जा सकता है क सत्यापन के अभाव में अयोग्य पेंशनर को भुगतान न कया गया हों। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर इकाई ने कहा क भ वष्य में दिशानिर्देशों के अनुसार शतप्रतिशत लाभा र्थयों का भौतिक सत्यापन कया जायेगा और सत्यापन के अभाव में मृत्यु/अपात्र पेंशनरों के अवशेष धनरा श को यथाशीघ्र शासन को सम र्पत कया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है यदि वभाग द्वारा पूर्व में ही शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन कया होता तो मृत्यु/अपात्र पेंशनर की अदेय भुगतान से बचा जा सकता है।

अतः शासनादेश के वपरीत लाभा र्थयों का शतप्रतिशत सत्यापन न करने के कारण अपात्र/पेंशनों की ₹ 10.09 लाख की वतरित धनरा श इकाई के पास अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 5:- निजी शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 02 अपात्र लाभार्थियो को ₹ 0.80 लाख की अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान। ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन भुगतान सम्बंधित शासनादेश दिनांक 11/2014 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ₹ 1.00 लाख वार्षिक आय वाले माता-पिता के पाल्य पात्र होंगे किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना होने से इस योजना के अंतर्गत केवल ए. आई. सी. टी. ई./एम. सी. आई/एन. सी. टी. ई तथा तकनीकी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड के ऐसे पात्र छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया जायेगा जिनका प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से हुआ हो । अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत जिन छात्र/छात्राओ का प्रवेश हुआ हो, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नही दिया जायेगा ।

कार्यालय के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की वर्ष 2015-16 में Dr. Pitamber Dutt Barthwal Himalayan Govt. P. G. College, Kotdwar के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के दो भिन्न भिन्न कोर्स के लाभार्थियो को मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है जो की निम्नरूप है:-

Application No	**Name**	**Father Name**	**Course**	**Scholarship amount paid**
3506010187	Jagriti Chauhan	Yashpal Singh	B.Sc (Biotech.)	37100
3506010194	Sunita Chauhan	Pankaj Negi	B. Ed	43350

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है की प्रबंधकीय कोटे के अनुसार B. Sc कोर्स की Jagriti Chauhan को धनराशि ₹ 37100=00 एवं B. Ed कोर्स की Sunita Chauhan को धनराशि ₹ 43350=00 का भुगतान किया गया था जो कि शासन के विपरीत था।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की प्रकरण की पुनः जाँच कर एवं शिक्षण संस्थान से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अवगत कराया जायेगा ।

अतः वर्ष 2015-16 में पछड़ा वर्ग के लाभा र्थयों को शासनादेश का उल्लंघन कर धनरा श ₹ 80450=00 का भुगतान का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 6:- वकलांग पेंशन **₹ 798.70** लाख का अनिय मत प्रेषण।

वकलांग पेंशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आते है। जिनकी मा सक आय ₹ 4000/- से अ धक न हो एवं एक परिवार में पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मलेगा एवं महिला लाभार्थी को प्राथ मकता दी जायेगी। पेंशन का भुगतान प्रतिमाह ₹ 1000/- की दर से त्रैमा सक आधार पर भुगतान कया जाता है। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक सं0 5137 दिनांक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावधान था क निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेंशन की धनरा श का भुगतान सीधे लाभा र्थयों के खातें में आनलाईन/डी0बी0टी0 के माध्यम से कये जाने के प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी पौड़ी के वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (10/2017) तक के वकलांग भरण पोषण से सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क कार्यालय द्वारा 49110 लाभा र्थयों हेतु कुल ₹ 1432.11 लाख वकलांग पेंशन हेतु अवमुक्त कये गये थे। जाँच में पाया गया क योजना के अन्तर्गत उक्त अव ध में 28673 पेंशनरों को ₹ 798.70 लाख ऑफ लाईन वतरण कया गया। जो क आदेशों क अवहेलना है। जब क उच्चा धकारियों द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे क समस्त धनरा श का भुगतान आनलाईन कया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर वभाग ने कहा क निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार वकलांग पेंशन का भुगतान आनलाईन प्रे षत कया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेंशन की धनरा श का भुगतान सीधे लाभा र्थयों के खातें में आनलाईन/डी0बी0टी0 के माध्यम से कये जाने का प्रावधान है। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया है।

अतः 28673 लाभा र्थयों को वकलांग पेंशन ₹ 798.70 लाख के अनिय मत प्रेषण करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग – दो (ब)</u>

प्रस्तर 7:- वभाग द्वारा बैंक खातों में **₹ 446.48** लाख धनरा श अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 सतम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी वभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने के कोई प्रावधान नहीं है जब तक क शासन के वत्त वभाग द्वारा वशेष कार्य/अव ध हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अना धकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाए एवं खाते में अवशेष धनरा श वभागीय पी0एल0ए0 में रखी जाए तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाए। यह भी व र्णत है क जब कसी कार्य के लए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित की जाए।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, पौड़ी की रोकड बही एवं सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क कार्यालय द्वारा संचा लत व भन्न योजनाओं के क्रयान्वयन के लए 07 बैंक खातों का संचालन अना धकृत रूप से कया जा रहा है, जिसके संचालन के लए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वत्त वभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित धनरा श को कोषागार से आहरित कर इन बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जाँच में पाया गया क अ धकतर सभी योजनाओं में आवंटित धनरा श को प्रगति प्रतिवेदनों में शतप्रतिशत व्यय दर्शाया गया जब क वगत दो वर्षों में बैंक से प्राप्त कये गये ववरण के अनुसार वत्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनरा श पड़ी हुई थीः-

(धनरा श ₹ लाख में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2017 के अन्त में अवशेष धनरा श	09/2017 के अन्त में अवशेष धनरा श
1.	SBI Pauri	10846935303	342.44	33.52
2.	SBI Pauri	10846935314	46.12	5.91
3.	SBI Pauri	10846934671	432.45	276.02
4.	SBI Pauri	35581360336	323.00	6.54
5.	SBI Pauri	35583749171	2.24	2.24
6.	UGB Pauri	4201001610	32.48	29.79
7.	Sandicate Pauri	86712200016183	252.73	92.46
	कुल योग			**446.48**

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क लेखापरीक्षा ति थ माह 09/2017 के अन्त में भी उक्त सभी बैंक खातों में ₹ 446.48 लाख की धनरा श अनावश्यक रूप से अवरूद्ध पडडी है। यह भी पाया गया क इन बैंक खातों से कये जा रहे लेन-देनों के लए अलग से रोकड बही का रख रखाव नहीं कया जा रहा है तथा वत्तीय वर्ष के अन्त में बैंक खाते में शेष धनरा श का योजनावार शेष का ववरण नहीं बनाया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित कया जा सकता क बैंक में जमा धनरा श कस योजना की कतनी धनरा श है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन

बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान ववरण भी नहीं बनाया जाता हैं। यह भी पाया गया क योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनरा श के सापेक्ष वत्तीय वर्ष के अन्त में शासन/निदेशालय को शतप्रतिशत् धनरा श के व्यय कये जाने का उपभोग प्रमाण पत्र प्रे षत कया जा रहा था। जब क बैंक ववरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनरा श शेष पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर वभाग ने कहा क शासनादेशों के दिशानिर्देशानुसार जो योजनाओं की धनरा श बैंक खातों में अवशेष पड़ी है, को वतरण कर बैंक खातों का बन्द करने की कार्यवाही की जायेंगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी वभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक क शासन के वत्त वभाग द्वारा वशेष कार्य/अव ध हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। जब क वभाग द्वारा वर्तमान में 07 खाते संचा लत कये जा रहे हो जो क शासनादेश की अवहेलना है।

अतः वभाग द्वारा बैंक खातों में **₹ 446.48** लाख धनरा श अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग – दो (ब)</u>

प्रस्तर 8:- ₹ 164500 के व्यय के उपरान्त भी ऐच्छिक उद्देश्यों का अप्राप्त रहना।

समाज कल्याण वभाग द्वारा जनपद के आवासहीन अनुसू चत जाति के परिवारों को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुये अटल आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय सु वधा उपलब्ध कराया जाना है योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लाभान्वित कया जाना है जो ग्राम्य वकास वभाग द्वारा संचा लत इन्दिरा आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना तथा अन्य कसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वं चत रह गये हो। आवास निर्माण की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹ 38500/- तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹ 35000/- निर्धारित है जिसमें से प्रथम कस्त के रूप में ₹ 23500/- तथा आवास का निर्माण कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त क्रमशः ₹ 15000/- एवं 11500/- द् वतीय कस्त के रूप में प्रदान कया जाता है।

प्रथम कस्त का भुगतान करते समय यह निर्दे शत है क आवास निर्माण का कार्य 03 माह में पूर्ण करते हुये डी0पी0सी0-9 एवं बिल बाउचर फोटो तथा आवास निर्माण का प्रमाण पत्र सहायक समाज कल्याण अ धकारी/खण्ड वकास अ धकारी के माध्यम से जनपद कार्यालय को प्रस्तुत कया जाये तत्पश्चात् द् वतीय कस्त की धनरा श प्रे षत की जाये।

जिला समाज कल्याण अ धकारी, पौड़ी के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (अक्टूबर-2017) से सम्बन्धित अटल आवास योजना के सन्दर्भ में उपलब्ध करायी सूचना की जाँच से स्पष्ट हुआ क वर्ष 2015-16 में स्वीकृत लाभा र्थयों में से 07 लाभार्थी ऐसे थे जिन्हे कुल ₹ 164500/- प्रथम कस्त के रूप में प्रदान कये गये परन्तु कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट अव ध 03 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आवास निर्माण अधूरा था और द् वतीय कस्त का भुगतान नहीं कया जा सका था कार्य के अपूर्ण रहने पर ₹ 164500/- का व्यय निष्फल हो गया।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर वभाग ने कारण का उल्लेख नही कया वभागीय आख्या स्वयं में लेखापरीक्षा आप त्त की स्वीकारोक्ति है।

प्रकरण उ चत कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- ₹ 12000/- का अनिय मत व्यय।

ग्राम्य वकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा निर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्न ल खत प्रावधानो के अन्तर्गत कया जा सकता है योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदो में निम्न मदों पर व्यय कया जाना अनुमन्य है पेंशन कार्ड आवदन पत्र की छपाई एवं वतरण वत्त लोग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लये कैंप के आयोजन सूचना शक्षा एवं प्रचार के लये कार्य, नोडल अ धकारी ग्राम्य वकास के का र्मको आदि के प्र शक्षण एवं प्रबंध सूचना तंत्र मदो पर व्यय आदि।

जिला समाज कल्याण अ धकारी पौड़ी के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (Up to Oct 17) के दौरान वकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र हेतु कैंप के आयोजन पर कया गया व्यय ₹ 12000/- जो NSAP के अन्तर्गत आवंटित नही था एवं यह व्यय अन्य स्त्रोतों से कया गया। वभाग का उक्त कृत्य नियमानुकूल नही है क्यों क NSAP के अन्तर्गत ही उक्त व्यय होना चाहिये।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर वभाग ने स्वीकार कया क उक्त व्यय NSAP के अन्तर्गत आवंटन से नही कया गया।

प्रकरण उ चत कार्यवाही हेतु वभागीय उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
0	2006-07	0	1,2,3,4,5,6,7	0
0	2007-08	1	0	0
0	2009-10	1,2,3	01	0
28	2011-12	0	01,02,03	0
178	2013-14	0	01	1,2
01	2015-16	1,2	1,2,3,4,5	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया गया है एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए महालेखाकार कार्यालय के लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया गया को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य.....

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

( )

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

( )

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री रतन सिंह रावल	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा. क्षे.